प्रेस नोट
दिनांक 27.08.2024

थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर दुराचार करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना कर्नलगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–379/24, धारा 69,89,351(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त परवेज आलम पुत्र इश्तियाक अहमद नि0 ग्राम घोसीपुरवा थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा को कटराबाजार से कर्नलगंज जाने वाली सड़क मार्ग से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 14.08.2024 को थाना कर्नलगंज क्षेत्र की रहने वाली एक महिला द्वारा थाना कर्नलगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षी परवेज आलम द्वारा उसके साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कर्नलगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। जिसकी विवेचना अति0 प्र0नि0 कर्नलगंज शम्भू सिंह द्वारा की जा रही थी। आज दिनांक 27.08.2024 को थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्त परवेज आलम को कटराबाजार से कर्नलगंज जाने वाली सड़क मार्ग से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम वैद्यानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. परवेज आलम पुत्र इश्तियाक अहमद नि0 ग्राम घोसीपुरवा थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–379/24, धारा 69,89,351(2) बीएनएस थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. अति0 प्र0नि0 शम्भू सिंह थाना को0 कर्नलगंज।
02. का0 प्रवीण कुमार।
03. का0 सत्येन्द्र कुमार।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 27.08.2024

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से दहेज हत्याभिुक्तों को हुई अभियुक्त को हुई 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 12,000/– रू0 के अर्थदण्ड की सजा–

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से कराते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप दहेज हत्याभियुक्त श्याम गोस्वामी पुत्र जिलेदार गोस्वामी नि0 गोसाई पुरवा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम गोण्डा श्री सूर्य प्रकाश सिंह द्वारा दोषसिद्ध किया गया है।

दिनांक 29.07.2022 को वादी देवी दयाल पुत्र बाबूलाल नि0 ओरी पुरवा मौजा भटपी थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा द्वारा थाना कौड़िया में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी पुत्री को ससुरालजनो द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित करते हुए जान से मार दिया है। कौड़िया पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री हषवर्द्धन पाण्डेय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल, थाना कौड़िया के पैरोकार, कोर्ट मोहर्रिर म0आ0 नम्रता चौधरी के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम गोण्डा द्वारा धारा 304बी के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास, धारा 498ए के तहत 02 वर्ष के साधारण कारावास व 10,000/– रू0 की अर्थदण्ड व 3/4 डी0पी0 ऐक्ट के तहत 01 के साधारण कारावास व 2000/– रू0 की अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

अभियुक्त का नाम पता–
01. श्याम गोस्वामी पुत्र जिलेदार गोस्वामी नि0 गोसाई पुरवा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–166/22, धारा 498ए,304बी भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।